न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 595/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.) ....वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र देवा जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
2. रामचन्द्र पुत्र हुकमारमा जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
3. लक्षमण पुत्र पेमा जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
4. पेमा पुत्र बीजला जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
5. सोना राम पुत्र रामाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
6. मुनीराम पुत्र रामाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
7. गणेशराम पुत्र रामाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
8. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
9. गणपतराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
10. रविन्द्रराम पुत्र हुकमाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर

....प्रतिवादी

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : 31/12/18.

1. प्रकरण के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अभिलेख की चक 23 ओ की चालू जमाबन्दी सं. 2069 से 72 के खा.सं. 49/40 में खातेदारों का योग 1.432 हैक्ट. तथा खाते का योग 1.164 हैक्ट. है। इस प्रकार खातेदारों का योग खाते से 0.268 हैक्ट. अधिक है। इस जमाबन्दी खा.सं. 49/40 में तुलछा पुत्र देवा 14 -2/3 हि., रामचन्द्र पुत्र हुक्माराम 34 1/4, लक्ष्मण पुत्र पेमा 12 हि., पेमा पुत्र बिजला 3 हि., सोना रामा पि. खेमा बहिब 3 हि., मुनीराम गणेशाराम पि. रामाराम 4 हि., रामचन्द्र गणपत पि. धन्ना बहिब 8 हि., रविन्द्रराम पुत्र हुक्माराम 34 1/4 हि. कौम बावरी सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
2. मिसल बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् .2012.. **से 2015** के खाता सं. 47 में मु. नं. 15,33,34,152/3 की 4.12 बीघा (92 हिस्सा)(1.164हैक्ट.) मुश्तरका खाता में **नत्थू सोना पिसरान देवा 12 हि.**, परसा किशना पि. कालू बहिब 12 हि., पेमा वल्द बीजला 3 हि., सोना रामा पिसरान खेमा बहिबराबर 3 हिस्सा कौम बावरी सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है।
3. मिसल बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् **2016 से 19 के खाता सं. 54** में नत्थू **सोना मुन्दरजा खेवट नं. 34**, 12 हि. परसा किशना पि. कालू बहिब 12 हिस्सा पेमा वल्द बीजला 3 हिस्सा सोना रामा पिसरान खेमा बहिबराबर 3 हिस्सा कौम बावरी सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। **खाता सं. 34** में **तुलछा 14 -2/3 हि. सोना नत्थू हर दो बहिबराबर 68 1/2 हिस्सा पिसरान देवा लछमन वल्द पेमा** 155 हिस्सा कौम बावरी सा. देह के नाम से दर्ज है।
4. मिसल बन्दोबस्त के **खाता सं. 23** में मु.नं. 15, 33, 34, 152/3 की 4.12 बीघा भूमि **तुलछा 14 -2/3 हि., सोना नत्थू हर दो बहिब 68 1/2 हि.पि. देवा लछमन वल्द पेमा हि. 12,** परसा किशना पि. कालू बहिब 12 हि. पेमा वल्द बीजला 3 हि., सोना रामा पि. खेमा बहिब 3 हि. कौम बावरी सा. देह खातोदर दर्ज किया गया। इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त में खाते का योग 92 हि. तथा खातेदारों का योग 113 1/6 हि. है, जिससे खातेदारों का योग खाते से 21 1/6 हिस्सा (0.268 हैक्ट.) अधिक हो गया है। जो कि उक्त खाता आज भी वर्तमान जमाबन्दी में भी मिसल बन्दोबस्त के अनुसार हिस्सों में चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

5. **जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 19 से मिसल बन्दोबस्त** बनाते समय तुलछा 14 –2/3 हि. तथा देवा लछमन वल्द पेमा 12 हि. सहवन से दर्ज कर दिया गया। जो दर्ज नही होना चाहिये था। अतः तुलछा 14 –2/3 हि. तथा देवा लछमन वल्द पेमा 12 हि हटाया जाना उचित है।

6. वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि रिकार्ड में त्रुटी का ज्ञान होने के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सख्या 1 से 10 की सुनवाई कर चक 23 ओ के **जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 19 से मिसल बन्दोबस्त** बनाते समय तुलछा 14– 2/3 हि. तथा देवा लछमन वल्द पेमा 12 हि. जो सहवन से दर्ज कर दिया गया को हटाये जाने के आदेश डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत धारा 136एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया इस संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे वाद पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार ही रिपोर्ट पेश की जाकर अप्रार्थी तुलछा 14–2/3 हि. व देवा लक्ष्मण वल्द पेमा 12 हि. हटाया जाना उचित अंकित किया गया

अप्रार्थी संख्या 7,8,9 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद भी उपस्थित नही आया। पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि इस खाता मे त्रुटि यह मिसल बन्दोबस्त बनाते समय सहवन से हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का की फर्द मौका के अनुसार भी जिन काश्तकारो के नाम हटाये जाने है उनका मौके पर कब्जा भी नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार प्रविष्टियो को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 23 मे खाते का योग 92 हिस्सा तथा खातेदारो का योग 113 1/6 हिस्सा है। जिससे खातेदारो का योग खातेदारो से 21 1/6 हिस्सा अर्थात 0.268 हैक्टर अधिक हो गया जो कि उक्त खाता आज भी वर्तमान जमाबंदी मे भी मिसल बन्दोबस्त के अनुसार ही हिस्सो मे चला आ रहा है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 19 से **मिसल बन्दोबस्त** बनाते समय तुलछा 14 –2/3 हि. तथा देवा, लछमन वल्द पेमा 12 हि. सहवन से दर्ज कर दिया गया। जो दर्ज नही होना चाहिये था। अतः तुलछा 14 –2/3 हि. तथा देवा, लछमन वल्द पेमा 12 हि हटाया जाना उचित है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 49/40 मे अंकित तुलछा पुत्र देवा 14 –2/3 हिस्सा व लक्षमण पुत्र पेमा 12 हिस्सा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी. आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।,

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर